7

बच्चों में जानने और समझने संबंधी उपकरणों का विकास एक विवेचन

इन्दु दहिया*

यह लेख 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर बने डैलर्स आयोग (1996) की विवेचना है। इस लेख में आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के चार स्तंभों में से प्रथम स्तंभ की दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। इस आयोग को *लर्निंग — दि ट्रेजर विदिन* (*Learning: The Treasure Within*) की संज्ञा दी गई है। इस शोध पत्र का आशय एक प्राथमिक अध्यापक के लिए उन प्रायोगिक शैक्षणिक निहितार्थों को स्पष्ट करना है जिनके आधार पर वह बच्चों को स्वयं चिंतन करने में सहायता कर सकते हैं।

बच्चों की शिक्षा में अध्यापक का कार्य अथवा कर्तव्य उन्हें ज्ञान देना नहीं, अपितु उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें। इस बात के लिए कि बच्चे स्वयं चिंतन करना सीख जाएँ, उन्हें सर्वप्रथम स्वयं जानने तथा बोध के लिए अनिवार्य ज्ञानार्जन साधनों या उपकरणों का विकास करना होगा। डैलर्स आयोग (1996) के अनुसार ये उपकरण हैं — एकाग्रता की शक्ति तथा स्मृति और विचारण की शक्ति का विकास। इन शक्तियों के विकास में सक्षम होने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों में उनकी विवेचनात्मक योग्यता की उत्प्रेरणा में सहायता करें, उनकी बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करें और वैज्ञानिक अभिवृत्ति प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। इस बात के लिए कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर चिंतन तथा तर्क का प्रयोग कर सकें, दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित उपयुक्त प्रश्नों तथा स्थितियों का निर्माण किया गया है जो उन्हें उनका हल ढूँढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

डैलर्स आयोग (1996) का मानना है कि वर्तमान सभ्यता एक ज्ञान संचालित सभ्यता है, जहाँ निरंतर रूप से वर्तमान ज्ञान तथा कौशलों का विकास हो रहा है और जो भविष्य की कुशलताओं का आधार निर्मित करते हैं। शिक्षा की अपेक्षाओं के प्रति पारंपरिक तरीके अनिवार्यतः मात्रात्मक तथा सूचना आधारित रहे हैं, अतः वर्तमान स्थिति में वे उपयुक्त नहीं हैं अर्थात् एक बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, भवन लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नयी दिल्ली

बच्चे को ढेर सारा ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता होगी। अपितु आवश्यकता इस बात की है कि उसे ऐसे उपकरणों या साधनों से लैस किया जाए जिससे वह स्वयं सीखने, अपने कौशलों व अभिवृत्तियों को अधिक व्यापक बनाने, अपने परिवेश को समझने और उसके अनुरूप अपने आपको ढालने या रूपांतरित करने के अवसरों को समझ सके। आयोग की इस रिपोर्ट में शिक्षा की कल्पना एक ऐसी इमारत के रूप में की गई है जो चार स्तंभों पर खड़ी है। इस आयोग के अनुसार ये स्तंभ हैं — (1) जानना सीखना, (2) करना सीखना, (3) मिलजुल कर रहना सीखना, तथा (4) अपने अस्तित्व को बनाए रखना सीखना। एक रूप में ये चार प्रकार के अधिगम हैं जिनकी व्यक्ति को एक सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है।

यहाँ पर 'जानना सीखना' या अधिगम प्राप्त करना सीखना से तात्पर्य है समझ या विवेक के उपकरणों की योग्यता को अर्जित करना। 'करना सीखना' से अभिप्राय है अपने परिवेश को सृजनात्मक रूप से प्रभावित करने या बदलने की योग्यता प्राप्त करना है। 'मिलजुल कर रहना सीखना' से तात्पर्य है समस्त मानव क्रियाकलाप में दूसरे व्यक्तियों के साथ सहभागित्व व सहयोगपूर्वक रहना सीखना तथा 'अस्तित्व की पहचान बनाए रखना सीखना' स्वयं को एक विशिष्ट, पहचान, प्रकृति या भूमिका के रूप में प्रस्फुटित करना है। अधिगम अथवा ज्ञान के ये चार पग (मार्ग) एक संघटित समष्टि का निर्माण करते हैं जो शिक्षा का सार है। इस लेख में इन चारों में से प्रथम प्रकार के अधिगम की विस्तार से व्याख्या की गई है।

जानना सीखने की योग्यताओं का विकास

डैलर्स (1996) के अनुसार अधिगम करना सीखना या ज्ञान का निर्माण करना सीखना अलग-अलग ज्ञान प्राप्त करने के विषय नहीं है, अपितु जानने, समझने या खोज करने के साधन हैं, जिससे व्यक्ति को वैयक्तिक शोध के सुख की अनुभूति होती है। जानना सीखने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का विकास अनिवार्य है —

(क) बौद्धिक जिज्ञासा की उत्प्रेरणा

इस प्रकार के अधिगम में बच्चों को दीक्षित करने या प्रवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक को उन तरीकों के विषय में विचार करना चाहिए जिनसे वे बच्चों की बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित कर सकें। ऐसा करने के लिए आप बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा ऐसी अवस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जिनसे उनकी जिज्ञासा जागृत हो सके। बच्चे के बाल्यकाल का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है उसके शरीर में विद्यमान 5 ज्ञानेंद्रियों का बोध। बच्चे जैसे-जैसे अपने वातावरण का प्रेक्षण करते हैं, साथ ही साथ वे विभिन्न ध्वनियों, दृश्यों, गंधों, स्वादों तथा संवेदनाओं को पहचानना तथा उनमें भेद करना दोनों सीख जाते हैं। ऐसे अनुभवों के आधार पर वे स्वयं के तथा अपने वातावरण के प्रति जिज्ञासा का भाव विकसित कर लेते हैं जो स्वयं को समझने में उनकी सहायता करता है। स्मरण रहे कि जिज्ञासा को सफलता या निष्पत्ति का इंजिन भी कहा जा सकता है। बौद्धिक जिज्ञासा एक जन्मजात अभिप्रेरणा होती है जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है (लार्वेस्टाईन, 1994)।

बच्चे को बौद्धिक जिज्ञासा की ओर अग्रसर करने के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा-कक्ष भली-भाँति प्रकाशित हो, प्रमुदित करने वाला हो तथा आकर्षक हो। दूसरे, पाठ को पढ़ाते समय हम सुनिश्चित करें कि बच्चों की अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित किया गया है और सभी बच्चे पाठ के विकास में सहभागी हैं, न केवल वे बच्चे जो अपना हाथ उठाते हों। इससे भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों को छानबीन करने, चिंतन करने तथा खोजने के लिए समय दिया जाए। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं माँगना चाहिए। बच्चों को सिखाया नहीं जाना चाहिए; उनमें तो (जैसा आइंस्टीन ने कहा था), जाँच पड़ताल करने की पवित्र जिज्ञासा जन्मजात ही होती है, जिसे जागृत किए रखना अध्यापक के लिए अनिवार्य है।

(ख) बच्चों की विवेचनात्मक मनीषा या योग्यता को उत्प्रेरित करना

इसके लिए ऐसे उत्प्रेरकों/उद्दीपकों के विषय में सोचें जो आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं। विवेचनात्मक योग्यता बच्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जो उनके भविष्य के लिए अनिवार्य है। विवेचनात्मक अभिवृत्ति के विकास में बच्चों की सहायता करने के लिए एक अध्यापक या अभिभावक के रूप में आपको चाहिए कि (i) उन्हें खेलने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करें, (ii) बच्चों से किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए थोड़ा रुकें, प्रतीक्षा करें और उन्हें सोचने के लिए उपयुक्त समय दें। तत्काल हस्तक्षेप कभी न करें। बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएँ वे विवृतांत (open ended) प्रकार के हों न कि सूचनात्मक, इनसे भी महत्वपूर्ण कि यदि बच्चे प्रश्न या समस्या के विषय में कोई परिकल्पना स्थापित करना चाहें तो उसमें उनकी सहायता करें, उन्हें उत्प्रेरित करें तथा प्रोत्साहित करें।

(ग) यथार्थता के भाव का निर्माण करना

यथार्थता के विषय में जो भी बच्चों का बोध है उसे अभिव्यक्त करने के लिए अभिप्रेरित करें। इस प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनमें अवस्थितियों का अर्थ निकालने या उनकी व्याख्या करने में सहायक होगी और वे स्वयं यथार्थता को अर्थ प्रदान करना सीख जाएँगे और उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास आरंभ हो जाएगा। डी नोरा, 2014 की दृष्टि में वास्तव में जो हमसे परे विद्यमान है वह तो अपने आप में ज्ञानातीत है तथा जो हम अभिव्यक्त करते हैं वह हमारी व्यक्तिगत व्याख्या है। स्मरण रहे कि वास्तविकता या कहें कि उसकी हमारी व्याख्या सदैव आभासी रूप से ही वास्तविक होती है, जो व्यक्ति द्वारा सरलीकृत रूप में या निपुणतापूर्वक निर्मित होती है। तथापि, "यथार्थता का भाव (या व्याख्या) जो व्यक्ति उसे प्रदान करता है, अपने परिणामों के आधार पर वास्तविक होता है।" (गोलिसंकी, 2013)

जब हम किसी अवस्थिति में स्वयं सोचकर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं तो समझिए कि हम यथार्थता की व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्येक अनुभव व्यक्तिपरक होता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आता है। किसी घटना या वस्तु को देखकर जो अनुभूति मुझे होगी उसी वस्तु या घटना को देखकर किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति अथवा व्याख्या, मेरी अनुभूति अथवा व्याख्या से किसी न किसी रूप में अलग होगी। अतः यथार्थताएँ जो बाहर मौजूद हैं

उनकी व्याख्या होती है। जैन दर्शन में इसे स्यादवाद की संज्ञा दी गई है और यही है सापेक्षता का सिद्धांत।

अध्यापक के रूप में हम ऐसी अवस्थितियों (चाहे वास्तविक हों अथवा काल्पनिक) को प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों से उन अवस्थितियों की व्याख्या करवा सकते हैं, जो उनके स्वयं के निर्णयों पर आधारित होंगी। जब भी बच्चे किसी भी चीज़ के विषय में स्वतंत्र रूप से सोच कर निर्णय लेते हैं तो समझिए कि वे वास्तविकता की व्याख्या कर रहे हैं। बच्चों द्वारा की गई यथार्थता की व्याख्या वयस्कों की व्याख्या से भिन्न हो सकती है परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे गलत हैं। संभव है कि वे बच्चे वयस्कों से अधिक सृजनात्मक हों।

(घ) वैज्ञानिक विधि के ज्ञान को अर्जित करने अथवा समझने में बच्चों की सहायता करना

यदि आप एक अध्यापक के रूप में वैज्ञानिक विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग करा सकते हैं तो बच्चे जीवनपर्यन्त विज्ञान के मित्र और ज्ञान के सर्जक बन जाएँगे। ऐसा करने के लिए अध्यापक को स्वयं चिंतन करना होगा, ताकि वे बच्चों को स्वयं चिंतन करना सिखाने में सक्षम हो सकें, क्योंकि जो अध्यापक स्वयं चिंतन नहीं करता वह बच्चों में चिंतन की योग्यता का विकास नहीं कर सकता।

उपर्युक्त चार योग्यताओं का विकास करने के लिए किस-किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं या किस प्रकार की अवस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है यह अध्यापक को पहले ही सोच कर कक्षा में आना होगा। ऐसी अभिवृत्ति का विकास होने के साथ बच्चा धीरे-धीरे स्वयं सोचना आरंभ कर देगा। यह स्मरण रहे कि प्रत्येक बच्चा उपर्युक्त सभी क्षमताओं से जन्म से ही संपन्न होता है। हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों को प्रत्येक चीज़ को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित न करें। यह बात पूर्णतः निरर्थक है कि प्रत्येक चीज़ को कंठस्थ किया जाए। यदि बच्चे जानने की विधि को सीख जाएँ तो वे ज्ञान का निर्माण स्वतंत्र रूप से स्वयं ही कर लेंगे और जब बच्चा वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करके अपने प्रयासों से सीखता है, तो बच्चे में एक समग्र अधिगम अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। यही है शोध का आनंद जो अनन्य रूप से आत्मसंतोषी होता है। दूसरे, इस बात से भी निराश न हों कि शोध तो मात्र वयस्कों के चिंतन का क्षेत्र है या उनका विशेषाधिकार है; वस्तुतः यह तो एक जन्मजात लक्षण या गुण है। बच्चे को एक लघु वैज्ञानिक समझा जाता है। समस्त खेल-क्रियाकलाप वस्तुतः अधिगम क्रियाकलाप होते हैं। उदाहरणार्थ एक, दो या तीन साल का बच्चा जब बार-बार अपने खिलौने को फ़र्श पर फेंकता है तो वह उन सभी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों या गतिविधि को सीखता है जो खिलौने द्वारा फर्श के कठोर या नरम तल से टकराने से उत्पादित होती हैं। इन दोनों अवस्थाओं से टकराने से उत्पादित ध्वनियों अथवा गतिविधि के अंतर को बच्चा समझ लेता है, यद्यपि उसे अभी तक भाषिक अभिव्यक्ति करनी नहीं आती। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक या अभिभावक से यह अपेक्षित है कि वह बच्चों की गतिविधि का विवेचित रूप से प्रेक्षण करें और उसे आगे सीखने के लिए अन्य प्रकार की अवस्थितियों का निर्माण करें।

हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वैज्ञानिक विधि जाँच या खोज की एक उन्नत विधि है जिसका प्रयोग मात्र वयस्क ही कर सकते हैं। वस्तुतः यह बात प्रत्येक बच्चा समझता है कि यदि कुछ घटित हुआ है, तो कोई चीज़ तो है जिसके कारण ऐसा हुआ है। अध्यापक को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों की ताक में रहें और बच्चों के समक्ष उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, जिससे बच्चों में कारण-प्रभाव संबंधों का निदर्शन हो। इस प्रकार वे बच्चों की जिज्ञासा और विवेचनात्मक समझ को उद्दीप्त कर सकते हैं। अर्थात् यदि कोई कारण है तो उसका कोई प्रभाव भी होगा और यदि प्रभाव अनुभव हो रहा हो तो वह किसी कारण से ही होगा। अंततः यह भी समझ में आ जाएगा कि अकारण कुछ भी नहीं होता है। प्राचीन भारतीय दर्शन (बौद्ध दर्शन) में इस विचार धारा को प्रतीत्य संपुत्पाद की संज्ञा दी थी।

यहाँ यह स्मरण रहे कि बच्चा कोई एक मात्र सर्वोत्तम या सर्वमान्य उत्तर देने का या कारण बताने का प्रयास नहीं करेगा; इसके विपरीत कई सारे संभावित उत्तर दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो जानिए कि यह चिंतन करने या वैज्ञानिक रूप से व्यवहार करने की अवस्था है। दूसरे शब्दों में यह परिकल्पना निर्माण या सृजनामक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था को महान जर्मन विचारक काँट ने 'कारण-प्रभाव का बोध' (एक वैचारिक रूप) की संज्ञा दी।

उदाहरण के रूप में, कारण-प्रभाव के संबंध में आप कोई प्रभाव दिखाकर बच्चों से उसका कारण ज्ञात करवा सकते हैं और इस प्रकार कोई कारण देकर उसके प्रभावों को जानने में उन्हें प्रवर्तित कर सकते हैं। जैसे —

- यदि आप किसी गेंद को लंबवत् दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या हो सकता है? करके देखिए।
- यदि आपके भी पंख होते तो आप क्या-क्या कर सकते थे?
- यदि आप किसी पानी से भरी बाल्टी की तली में एक लकड़ी का टुकड़ा रखें तो क्या होगा?

(**टिप्पणी**: जहाँ संभव हो करके देखिए)

आप इस प्रकार की बहुत सारी अवस्थितियों पर विचार कर सकते हैं। ऐसी अवस्थितियों को प्रस्तुत कर आप बच्चों को कारण-प्रभाव नियम को समझने के लिए प्रवर्तित कर सकते हैं। यदि आप सफलतापूर्वक ऐसा करते हों तो निश्चय ही आप उन्हें सही रूप में चिंतनोन्मुख बनाने की दिशा में चल रहे हैं। ऐसा करने से आप उनमें समझ या विवेक के उपकरणों को विकसित करने में सहायता कर रहे होंगे। हमारे विचार में यही है अध्यापन और अधिगम शिक्षा का सार।

ज्ञानार्जन उपकरणों का विकास

डैलर्स (1996 पृ.87) के अनुसार, जानना सीखने से तात्पर्य है यह मालूम करना कि सीखा कैसे जाता है। सीखने के लिए एकाग्रता, स्मृति तथा चिंतन की शक्ति अपेक्षित होती है। यही हैं ज्ञानार्जन के उपकरण। अध्यापक के रूप में हमारा लक्ष्य बच्चों के ध्यान को वस्तुओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं पर केंद्रित करने में सहायता करना है। परंतु दुःख की बात है कि आजकल बच्चे चैनल सर्फ़िंग करते रहने की आदत बना रहे हैं अथवा तेज़ी से एक के बाद एक सूचनाओं को मस्तिष्क पटल पर दौड़ाते रहते

हैं, जो खोज प्रक्रिया विकसित करने के लिए अत्यंत हानिकर होती है।

1. एकाग्रता का विकास

एकाग्रता विकसित करना कई प्रकार से हो सकता है और इसमें कई प्रकार की अवस्थितियों का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक के रूप में हमें ऐसी चुनौतीपूर्ण अवस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जो बच्चों के लिए रुचिकर हों तथा उनका ध्यानाकर्षण कर सकती हों। तथापि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार की अवस्थितियाँ अथवा क्रियाकलाप रोचक नहीं लगेंगे। अतः हमें विभिन्न प्रकार की अवस्थितियों या क्रियाकलाप के विषय में सोचना होगा। जिनमें से वे अपनी रुचि अनुसार किसी अवस्थिति विशेष का चयन कर सकें।

2. स्मृति का विकास

स्मृति का विकास स्मृति के उपयोग के माध्यम से होता है। स्मृति का अर्थ है अतीत में घटित बातों का स्मरण करना। परंतु प्रश्न यह है कि हम बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं जिससे वे अपनी स्मृति के उपयोग में वृद्धि कर सकें। संभवतः बच्चे अपनी स्मृति के उपयोग को बेहतर रूप से बढ़ा सकते हैं यदि उन्हें खेल-खेल में उनके अनुभवों के विषय में पूछा जाए। हम जानते हैं कि स्मृति दो प्रकार की होती है — दीर्घावधि (दीर्घकालिक) तथा अल्पावधि (अल्पकालिक)।

दीर्घकालिक स्मृति का विकास

दीर्घकालिक स्मृति के उपयोग में वृद्धि कराने के लिए एक अध्यापक बच्चों को अतीत के अनुभवों या घटनाओं का विवरण देने के लिए कह सकते हैं, ऐसे अनुभव जिन्होंने बच्चों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हो या किसी न किसी रूप में वे रोचक रहे हों। उदाहरणार्थ, बच्चों को कह सकते हैं कि वे अपने बचपन की किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन करें जो उनको बहुत अच्छी लगी हों अथवा अप्रिय या डरावनी।

अल्पकालिक स्मृति का विकास

अल्पकालिक स्मृति में वृद्धि हेतु हमें बच्चों को कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएँ करने को प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप विद्यार्थियों को किसी रोचक स्थान के भ्रमण पर ले जा सकते हैं। अगले दिन जब बच्चे कक्षा में आएँ तो आप उनसे भ्रमण का विस्तृत वृत्तांत लिखने अथवा बताने के लिए कह सकते हैं। इस प्रयोग को खेल की भावना से करें और बच्चों को किसी प्रकार का दंड न दें, केवल प्रोत्साहित करें।

ऐसे अनुभवों के वर्णन से न केवल बच्चों की दीर्घकालिक स्मृति को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, अपितु बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने में भी सहायता मिलेगी जिसका ज्ञान एक अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है।

परंतु इस अवसर पर एक सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है जिसकी ओर संकेत करना आवश्यक है। वह है कि हमें 'स्मृति का उपयोग' को 'रटना' नहीं समझ लेना चाहिए। 'रटन' शब्द से तात्पर्य है बिना अर्थग्रहण किए किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेना। अत्यधिक तथ्यात्मक सूचनाओं को याद कर लेना बौद्धिक विकास का संकेतक नहीं मान लेना चाहिए। जैसे आपने टेलीविज़न पर कुछ

बच्चों के उदाहरण देखे होंगे जिन्हें दुनिया की असंख्य सूचनाएँ कंठस्थ हैं और वे फटाफट किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। ऐसे बच्चों की स्मरणशक्ति तो विलक्षण है परंतु स्वस्थ बौद्धिक विकास के लिए यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा करने में चिंतन, कल्पना, शक्ति या बुद्धि का कोई उपयोग या विकास निहित नहीं है। 'स्मृति का उपयोग' हमारे चिंतन, कल्पनाशक्ति या बुद्धि का अंग है जो अव्यक्त स्तर पर होता है। कुछ चीज़ों अथवा घटनाओं का भूलना उतना ही आवश्यक है जितना कि चीज़ों को याद रखना। बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कहा जाता है कि विस्मरण स्मरण के लिए अनिवार्य साधन होता है। यद्यपि, अधिगम के एक साधन या उपकरण के रूप में कंठस्थीकरण की अनुशंसा बच्चों की शिक्षा में कम से कम की जाती है, तथापि बच्चे के विकास के किसी स्तर पर या कुछ संदर्भों या मामलों में इसका वर्णात्मक उपयोग पूर्ण रूप से अनावश्यक या निरर्थक नहीं होता है, अपितु उपयोगी और आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, गिनती सीखना, पहाड़े याद करना, कुछ सूत्रों (फ़ार्मूलों) आदि को स्मरण रखना इत्यादि।

इसके अतिरिक्त स्मृति क्षमता के उपयोग को सहचर्य के गुण का उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति की चाल देख कर उस व्यक्ति का स्मरण हो जाता है। स्मृति वस्तुओं, अवस्थितियों अथवा व्यक्तियों में पाए जाने वाले लक्षणों या तत्वों की समानता अथवा विषमता के आधार पर कार्य करती है। अतः बच्चों में स्मृति का उपयोग विकसित करने अथवा उसे बढ़ाने के लिए हम ऐसी अवस्थितियों का सृजन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा में अध्यापक का कार्य अथवा कर्तव्य उन्हें ज्ञान देना नहीं, अपितु उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें। ऐसा करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वे बच्चों की बौद्धिक जिज्ञासा को प्रेरित करें, उनके विवेचनात्मक योग्यता का विकास करें तथा बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भाव उत्पन करें। यह तभी संभव हो सकता है जब बच्चे में ज्ञान के लिए अपेक्षित उपकरणों जैसे एकाग्र चिंतन, स्मृति और विचारण शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें।

संदर्भ

अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग – 5 वे टू डेवलप यूअर चाइल्ड्स क्यूरिओसिटी. www.etlearning.com/resources/early-childhood-learning-5-ways-to-develop-your-childs-curiosity/

गोलिंसकी, एलन. 2013. *माइंड इन दि मेकिंग — सेवेन इसैन्श्यल स्किल्स एव्री चाइल्ड नीड्स*. हार्पर स्टूडियो, यू.एस.ए.

जॉनसन, बैन. 2010. *हाऊ टू इग्नाइट इंटेलैक्चुअल क्यूरिओसिटी इन स्टूडेंट्स*. जॉर्ज ल्यूकास एजुकेशनल फाउंडेशंस. यूनाइटेड किंगडम

डैलर्स, जैकक्यू. 1996. *लर्निंग — द ट्रीज़र विदिन – रिपोर्ट टू दि यूनेस्को ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फ़ॉर दि 21st सेंचुरी*. यूनेस्को, पेरिस.

डी नोरा, टीया. 2014. *मेकिंग सेंस ऑफ़ रिएलिटी — कल्चर एंड परसेप्शन इन एवरी डे लाइफ़*. सेज पब्लिकेशन्स. यूनाइटेड किंगडम.

लोर्वेस्टाईन, जी. 1994. 'दि साइकोलॉजी ऑफ़ क्यूरिओसिटी'. *साइकोलॉजिकल बुलेटिन*, 1994 इश्यू, वॉल्यूम 116. American Psychological Association.United States पर ऑनलाइन देखा गया।

स्कैचटर, जे. (संपा.). 2013. *द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ माइंड*. सेज पब्लिकेशन्स. यूनाइटेड किंगडम

HTTPS://www.asu.edu

HTTPS://www.lanecc.edu